

STATEMENT SHOWING RAILWAY ACT CASES FOR THE MONTH OF DEC-2011.

Sections	No. of Cases	Fine realized
137	25	18709
138	4241	1525888
139	0	0
141	327	153018
142	0	0
143	4	0
144	1069	448583
145	348	63043
146	3	1000
147	1667	213295
153	0	0
154	20	54800
155	479	58800
156	266	18341
157	14	1600
159	429	56400
160	16	31500
161	0	0
162	1167	75250
163	0	0
164	0	0
165	0	0
166	1	500
167	27	1975
172	0	0
173	0	0
174	13	11500
175	0	0
176	0	0
180th	0	0
Total	10,116	27,34,202

Statement showing RP(UP) Act cases for the month of Jan-2012

Year	No. of Cases detected	Value of Property Recovered	Arrest		
			OS	RE	RPF
Jan-2012	35	33110	52	01	00

Statement showing Theft of Railway Property Cases for the month of Jan-2012

Year	No. of Cases		Value of Property		Arrest		
	Regd.	Detd.	Stolen	Recovery	OS	RE	RPF
Jan-2012	43	35	40102	33110	52	01	00

Statement showing Theft of Railway Material Cases for the month of Jan-2012

Year	No. of Cases		Value of Property		Arrest		
	Regd.	Detd.	Stolen	Recovery	OS	RE	RPF
Jan-2012	42	35	37422	33110	52	01	00

Statement showing Theft of Booked Consignment Cases for the month of Jan-2012

Year	No. of Cases		Value of Property		Arrest		
	Regd.	Detd.	Stolen	Recovery	OS	RE	RPF
Jan-2012	01	00	2680	00	00	00	00

रे.सु.ब. द्वारा माह जनवरी-२०१२ के दौरान किये गये अच्छे कार्यों का ब्यौरा

- जबलपुर मंडल में दिनांक 20.01.2012 को पोस्ट प्रभारी निरीक्षक/सतना व स्टाफ द्वारा पीआरएस केन्द्र जैतवारा स्टेशन बजरंग बली मंदिर के पास एक बाहरी व्यक्ति जितेन्द्र सिंह बल्द प्रेमचंद उम्र 21 वर्ष निवासी टिकुरिया टोला लखन चौक गली नंबर 03 सतना को 09 आरक्षित टिकिट, 06 भरे हुए आरक्षण फार्म व नगद 21900/- रुपये के साथ पकड़ा गया, आरक्षित 09 टिकिटों की कीमत 12300/- रुपये आंकी गई है। पकड़े गये व्यक्ति की निशानदेही पर पालिका बाजार सतना से 02 व्यक्तियों 1- विकास विश्वकर्मा वल्द दशरथ विश्वकर्मा उम्र 20 वर्ष निवासी उपरोक्त को 02 आरक्षित टिकिटों, 02 रद्द टिकिटों कीमत 5261/-रुपये तथा 2- सुधीर निगम बल्द राम विशाल निगम उम्र 30 वर्ष निवासी सिविल लाइन सतना को 02 आरक्षित टिकिटों एवं 02 रद्द टिकिटों कीमत 3725/-रुपये के साथ पकड़ा गया। मामला रेल टिकिटों के अवैध व्यापार का पाये जाने पर आरोपियों के विरुद्ध रे.सु.ब. पोस्ट सतना द्वारा अपराध क्रमांक 137/2012 रेल अधिनियम की धारा 143 के तहत कायम कर जांच में लिया गया। दिनांक 23.01.2012 को आरोपियों को माननीय सेशन कोर्ट जबलपुर द्वारा जमानत पर छोड़ा गया। मामले की जांच जारी है।
- भोपाल मंडल में दिनांक 28.01.12 को भोपाल स्टेशन पर संयुक्त चैकिंग के दौरान सउनि रामचेत एवं आरक्षक सागर मीना ने एक मंदबुद्धी बालक को पीएफ नं. 01 भोपाल स्टेशन पर पाये जाने पर उक्त बालक के परिजनों को सूचित किया गया। दिनांक 28.01.2012 को सूचना पर उक्त बालक के भाई उमेश निवासी न्यूषिव नगर भोपाल के रेसुब भोपाल में उपस्थित होने पर समक्ष गवाहों के सुपुर्द किया गया।
- कोटा मंडल में दिनांक 10.01.2012 को गाड़ी सं. 12953 अगस्त कांति के इंजन में एक अनाधिकृत व्यक्ति के यात्रा करने की सूचना पर निरीक्षक भरतपुर मय स्टाफ ए.ई.ई./टीआरडी व एसएस/भरतपुर को साथ लेकर प्लेटफार्म नं. 04 पर पहुंचे तथा गाड़ी के आगमन पर इंजन में मौजूद टीआई/कोटा श्री आर.एन. यादव व चालक वी.पी. शर्मा व श्री उमेश दास ने एक व्यक्ति को सुपुर्द किया और बताया कि यह व्यक्ति स्वयं को एसएसई/टीआरएस गाजियाबाद बता रहा है। बाद उक्त व्यक्ति से गहनता से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम अनुप पुत्र वी.पी. शर्मा बताया तथा कैब (इंजन) में यात्रा करने की ऑथारिटी को फर्जी तरीके से स्वयं द्वारा बनाया जाना बताया एवं बताये गये मोबाईल नंबर 09717631357 पर संपर्क किया तो उसके पिता द्वारा अनुप को अपना पुत्र तथा होटल मैनेजमेन्ट का छात्र बताया। बाद उसके पिता को भरतपुर में अनुप को उतारने की सूचना दी गई। उक्त व्यक्ति के पास मौजूद प्रपत्रों की गहनता से जांच की गई तो मामला फर्जी पाये जाने पर उपनिरीक्षक/रेसुब/बब्बन लाल द्वारा जीआरपी को अग्रिम कार्यवाही हेतु मय प्रपत्रों के उक्त व्यक्ति को सुपुर्द किया। इस संबंध में जीआरपी/भरतपुर द्वारा घटना स्थल जीआरपी/कोटा का बताते हुए मूल रिपोर्ट मय आरोपी के आगामी कार्यवाही हेतु जीआरपी/कोटा को भेजा गया। बाद मामले मे जीआरपी/कोटा द्वारा उक्त व्यक्ति के खिलाफ अपराध क्रं. 12/2012 धारा 170,420,467,468 आईपीसी दिनांक 10.01.12 दर्ज कर जांच में लिया गया है।